



डिक्री मुकदमा इबताई

(रूल्स 18-21)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक), जमवारामगढ़, जिला जयपुर  
पीठासीन अधिकारी : श्री राजेश मीना RAS

मिसल नं.  
270/2025

तारीख दायर  
26/08/2025

तारीख फेसला  
14/10/2025

1. सोहनलाल पुत्र जैलाराम
  2. ग्यारसा पुत्र धन्ना
  3. भगवान पुत्र धन्ना
- समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम कोलीवाडा तहसील आंधी जिला जयपुर  
वादीगण

बनाम

1. रतनलाल पुत्र पूनीराम
  2. रामप्रसाद पुत्र पूनीराम
  3. रामफूल पुत्र पूनीराम
  4. श्योबक्स पुत्र चैनाराम
  5. राकेश पुत्र हरिनारायण
  6. ओमप्रकाश पुत्र हरिनारायण
- समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम कोलीवाडा पोस्ट चांदराणा वाया दौसा तहसील  
आंधी जिला जयपुर राजस्थान
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आंधी तहसील आंधी जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक

श्री किशनलाल बैरवा :- वकिल वादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:- डिक्री आदेश :-

दिनांक 14/10/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू श्री राजेश मीना बहाजिरी श्री किशनलाल बैरवा वकिल वादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा नं0 171 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नं0 172 रकबा 0.4100 हैक्टेयर वाके ग्राम कोलीवाडा तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 किसी प्रकार का कच्चा - पक्का निर्माण कार्य नहीं करें तथा मौके की यथास्थिति कायम रखे एवं उक्त कार्य प्रतिवादीगण ना तो स्वयं ही करे एवं

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)  
जमवारामगढ़ जयपुर



अपने भाई - बन्धुओ , ऐजेन्ट , सर्वेन्ट , ठेकेदार, परिवारजन व अन्य लोगो से भी ना करावे।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से पर्चा डिकी आज दिनांक 14/10/2025 को जारी की गई।

*(फास्ट ट्रेक)*  
सहायक जज (फास्ट ट्रेक)  
(फास्ट ट्रेक) जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
	रुपये	पैसे		रुपये	पैसे
मुद्दा			मुदालयह		
स्टाम्प			स्टाम्प		
वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह		
			सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबतहजराय			बबतहजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

*(फास्ट ट्रेक)*  
सहायक जज (फास्ट ट्रेक)  
(फास्ट ट्रेक) जयपुर

03/11/2025. जाण एज 152 सी०जी० सी. का (चीकर) सिद्धा एतत है। वषा निर्णय से दादीबाज की एततदारी शूति खणन 171,172 से उतिपादीगण उदेशा नही करे। दादी के उपयोग-उपभोग से बाधा उत्पन्न नही करे। निर्णय के कालमा एततन पनी एतत।